कार्यकारी सारांश

इस प्रतिवेदन के बारे में

यह प्रतिवेदन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राजकीय उपक्रमों) की वित्तीय स्थिति एवं निष्पादन को प्रस्तुत करता है। राजकीय उपक्रमों की वित्तीय स्थिति एवं निष्पादन के अलावा, प्रतिवेदन में अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं यथा सीएजी की निरीक्षण भूमिका, राजकीय उपक्रमों में निगमित अभिशासन एवं सरकारी कंपनियों में भारतीय लेखाकंन मानकों (इंड एएस) का कार्यान्वयन को भी समाहित किया गया है।

लेखापरीक्षा विस्तार

2020-21 के दौरान, सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राजस्थान राज्य में सभी 45 राजकीय उपक्रमों (38 सरकारी कंपनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों एवं तीन सांविधिक निगमों) की वित्तीय स्थिति एवं निष्पादन का विश्लेषण किया गया। साथ ही, इन राजकीय उपक्रमों में निगमित अभिशासन के सिद्धान्तों की अनुपालना की समीक्षा जवाबदेही, व्यवसाय में पारदर्शिता एवं हितधारकों का विश्वास बढ़ाने का आंकलन करने हेतु की गई थी। 10 सरकारी कंपनियों (एक सरकारी कंपनी को सम्मिलित करते हुए, जिसने स्वेच्छा से इंड एएस अपनाया) में इंड एएस को अपनाए जाने के प्रभाव का भी आंकलन किया गया था।

हमने क्या पाया है एवं हम क्या अनुशंसा करते हैं

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2020-21 के दौरान, 41 राजकीय उपक्रमों (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों को छोड़कर) में कुल निवेश (₹ 1,61,988.60 करोड़) में वर्ष 2019-20 की तुलना में ₹ 4,400.01 करोड़ की वृद्धि हुई। कुल निवेश का प्रमुख हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों से संबंधित है, क्योंकि 31 मार्च 2021 तक कुल निवेश का 92.51 प्रतिशत (₹ 1,49,853.29 करोड़) ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों में निवेशित था।

2020-21 के दौरान, 41 राजकीय उपक्रमों की पूँजी निवेश में ₹ 403.49 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई। राज्य सरकार ने समस्त पूँजी ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों में अंशों के निर्गमन के माध्यम से निवेश की थी।

31 मार्च 2021 तक, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों में कुल पूँजी निवेश ₹ 600.01 करोड़ था जिसे राज्य सरकार एवं नगर निगमों द्वारा समान रूप से निवेश किया गया था।

41 राजकीय उपक्रमों में से, दो राजकीय उपक्रमों[2] एवं चार राजकीय उपक्रमों[3] ने 2020-21 के दौरान उनके ऋणों, जो कि क्रमशः बैंकों/वित्तीय संस्थानों एवं राजस्थान सरकार से उधार लिए गये थे, के भुगतान में चूक की।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 41 राजकीय उपक्रमों में से 25 राजकीय उपक्रमों ने लाभ अर्जित किया, जबकि 13 राजकीय उपक्रमों ने हानि वहन की। शेष तीन राजकीय उपक्रमों की लाभ/हानि वर्ष के दौरान शून्य/नगण्य थी। 2020-21 में लाभ अर्जित करने वाले राजकीय उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ (₹ 1,232.32 करोड़) में 2019-20 में लाभ अर्जित करने वाले राजकीय उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ (₹ 3,843.10 करोड़) की तुलना में सारभूत गिरावट हुई। साथ ही, हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों द्वारा वहन की गई हानियों में (₹ 4,046.23 करोड़) में हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों द्वारा 2019-20 में वहन की गई हानियों (₹ 489.54 करोड़) की तुलना में सारभूत रूप से वृद्धि हुई। लाभ में गिरावट एवं हानि में वृद्धि मुख्य रूप से उज्जवल डिस्कॉम्स एश्योरेंस योजना के तहत राज्य डिस्कॉम्स को मिलने वाली सब्सिडी बंद किए जाने के कारण थी।

इन 41 राजकीय उपक्रमों के अंतिम रूप दिए गये नवीनतम लेखों के अनुसार, राजकीय उपक्रमों के पूँजी निवेश (₹ 51,787.33 करोड़) के समक्ष भारी संचित हानियां (₹ 97,441.97 करोड़) की परिणिति नकारात्मक निवल मूल्य (₹ 45,714.26 करोड़[4]) के रूप में हुई। साथ ही, 15 राजकीय उपक्रमों का निवल मूल्य पूर्णतः क्षरण हो गया था क्योंकि इन राजकीय उपक्रमों का पूँजी निवेश एवं संचित हानियां क्रमशः ₹ 33,754.35 करोड़ एवं ₹ 96,491.58 करोड़ था।

32 राजकीय उपक्रमों[5] में राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य (पीवी) सब्सिडी रहित एवं उदय के अन्तर्गत प्राप्त सब्सिडी सहित क्रमशः ₹ 99,385.89 करोड़ एवं ₹ 1,58,362.98 करोड़ था, जबकि आरओआरआर क्रमशः 2.52 प्रतिशत तथा 1.58 प्रतिशत परिकलित की गई।

सीएजी की निरीक्षण भूमिका

42 सरकारी कंपनियों (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों सहित) में से 30 नवम्बर 2021 को या उससे पूर्व 25 सरकारी कंपनियों के वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरण प्राप्त हुए थे जबकि 17 सरकारी कंपनियो के वित्तीय विवरण विभिन्न कारणों से बकाया थे। इन 25

2 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं गिरल लिग्नाईट ऊर्जा लिमिटेड।

3 राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड एवं राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड।

4 ₹ 59.62 करोड़ का आस्थगित व्यय घटाने के पश्चात।

5 राजकीय उपक्रम, जिनमें राज्य सरकार ने पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में निधियां निवेश की थी।

सरकारी कंपनियों में से, 18 सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की गई थी।

इसके अतिरिक्त, एक सांविधिक निगम के वित्तीय विवरण भी प्राप्त हुए थे एवं इनकी भी पूरक लेखापरीक्षा की गई थी।

पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, दो सरकारी कंपनियों[6] (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य एक कंपनी सहित) ने अपने वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरण वार्षिक साधारण सभा में इन्हें प्रस्तुत करने से पूर्व, संशोधित किये थे।

पूरक लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय प्रतिवेदनों अथवा प्रतिवेदन प्रक्रिया में अनियमितताये एवं कमियाँ, जो महत्वपूर्ण प्रकृति की नहीं थी, के संबंध में 17 राजकीय उपक्रमों के प्रबंधन को सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रबंधन पत्र द्वारा सूचित किया गया था।

निगमित अभिशासन

निगमित अभिशासन की समीक्षा में राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड जो परिसमापन के अधीन है के अतिरिक्त विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण वाली सभी सरकारी कंपनियों को सम्मिलित किया गया है। निगमित अभिशासन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की अनुपालना यद्यपि आवश्यक थी परन्तु कुछ सरकारी कंपनियों द्वारा अनुपालना नहीं की गई। वर्ष के दौरान निर्धारित दिशानिर्देशों से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचलन पाये गये थेः

- दो सरकारी कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व आवश्यक संख्या से कम था जबकि 18 सरकारी कंपनियों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।
- एक सरकारी कंपनी[7] में सम्पूर्ण वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान महिला निदेशक नहीं थी जबकि दो सरकारी कंपनियों[8] में पूर्व महिला निदेशको का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की थी। ।
- मात्र 63 प्रतिशत बोर्ड बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति 100 प्रतिशत थी। साथ ही, एक सरकारी कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों द्वारा बोर्ड की बैठकों में भाग न लेकर हितधारकों की ओर से उनको सौंपी गयी भूमिका को महत्व नहीं दिया था। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक साधारण सभा में उपस्थित नहीं हुए थे। पांच सरकारी कंपनियों के स्वतंत्र निदेशकों ने 2020-21 के दौरान पृथक से बैठकें नहीं कीं थी।

6 राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड एवं कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

7 राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड।

8 उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड।

- 18 सरकारी कंपनियों बीओडी की चार बैठकें आयोजित करने में विफल रहे जबकि छः सरकारी कंपनियों ने वर्ष 2020 के दौरान बीओडी की मात्र एक बैठक आयोजित की। साथ ही, 15 सरकारी कंपनियों में बीओडी की निरन्तर दो बैठकों के मध्य समयान्तराल निर्धारित समय सीमा के समक्ष 127 दिवस एवं 385 दिवसो के मध्य रहा।
- दो सरकारी कंपनियों[9] ने लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया था। साथ ही, 19 सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा समितियों में स्वतंत्र निदेशक बहुमत में नहीं पाए गये थे।

राजकीय उपक्रमों में भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अब तक लागू सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखा सिद्धांतों (आईजीएएपी) को वैश्विक मानकों अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानकों (आईएफआरएस) के साथ अभिसरण करते हुए भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) को अधिसूचित किया (फरवरी 2015)। इंड एएस को कंपनियों की निर्धारित श्रेणी को चरणबद्ध तरीके से 1 अप्रैल 2016 से एवं इंड एएस के कार्यान्वयन हेतु निर्दिष्ट प्रशस्त मार्ग के अनुसार अपनाया जाना अनिवार्य है।

इंड एएस को अपनाए जाने के परिणामस्वरूप वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे में बदलाव हुआ। चयनित 10 सरकारी कंपनियों के लेखापरीक्षा विश्लेषण ने इंगित किया कि सरकारी कंपनियों द्वारा इंड एएस को अपनाए जाने ने कर पश्चात लाभ, राजस्व, कुल परिसंपत्तियां एवं निवल मूल्य प्रभावित हुआ। यह प्रभाव चयनित सभी 10 सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर देखा गया।

इंड एएस को अपनाए जाने का कर पश्चात लाभ (₹ 199.62 करोड़), राजस्व (₹ 94.99 करोड़), कुल परिसंपत्तियों (₹ 569.68 करोड़) एवं निवल मूल्य (₹ 434.64 करोड़) पर नकारात्मक संचयी प्रभाव पड़ा, जैसा कि सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया। इंड एएस को अपनाए जाने के संचयी प्रभाव में दो सरकारी कंपनियों (राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड) की कुल परिसंपत्तियों पर प्रभाव शामिल नहीं था क्योंकि इन कंपनियों ने अपने इंड एएस अनुपालन वित्तीय विवरणों में प्रभाव का ब्यौरा नहीं दिया था।

किए गए प्रमुख परिवर्तन परिसंपत्तियों/देनदारियों का ऐतिहासिक लागत मूल्यांकन के स्थान पर उचित मूल्यांकन, राजस्व पहचान की पद्धति में बदलाव, आस्थगित कर का लेखांकन, वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति, पूर्व अवधि की मदों का समायोजन, अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन,

9 राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड एवं कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

प्रगति पर पूंजीगत कार्य में समायोजन, प्रस्तावित लाभांश को रद्द करने एवं कलपुर्जों व प्रमुख निरीक्षण के लिए मूल्यह्रास के समायोजन से संबंधित थे।

अनुशंसा

राजस्थान सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करे जिससे कि राजकीय उपक्रमों में निगमित प्रशासन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।